

24-1-13

पत्रावली पेश हुई। बार बार आवाज दिलाई गई परन्तु साक्षी की वरफ से वास्तव में कोई उपाख्यान नहीं है अतः साक्षी की उदात्त हजरत एवं अदम्य पैरवी में शाब्क पारा 131, 136 L.R. स्टेट का रकार्डिंग किया गया। पत्रावली पेश करने के बाद ही नम्बर से काम हो। आदेश सुप्रीम न्यायालय में सुनाया गया।

Web Copy - Not Official